न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री कैलास चन्द्र लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/339/2017

उनवान

1. भँवर लाल आत्मज नारू जाट निवासी चीड खेडा तहसील सहाडा , जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. मदन लाल पिता मियाचन्द जाट निवासी चीडखेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. मोहन लाल पुत्र जैसिंह जाट निवासी चीडखेडा
3. शंकर लाल पुत्र जैसिंह जाट निवासी चीडखेडा
4. भैरू लाल पुत्र जैसिंह जाट निवासी चीडखेडा
5. श्रीमती केसर पुत्री जैसिंह जाट निवासी रामरतन नगर, आमली तहसील सहाडा मृतक के कायम मुकाम :–
   5/1 बद्री पुत्र प्यारचंद जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
   5/2 मदन पुत्र प्यारचन्द जाट निवासी बोरियापुरा
   5/3 जगदीश पुत्र प्यारचन्द जाट निवासी बोरियापुरा
   5/4 रोशन पुत्री केसर पत्नि लक्ष्मण जाट निवासी रामरतन नगर, आमली तहसील सहाडा
   5/5 कैलाशी पुत्री केसर पत्नी रामेश्वर जाट निवासी बघेरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
6. श्रीमती सोहनी पुत्री जैसिंह जाट निवासी चीडखेडा
7. श्रीमती जमनी पुत्री जैसिंह जाट निवासी चीडखेडा
8. मदन पुत्र लालू जाट निवासी चीड खेडा तहसील सहाडा
9. सीमा पुत्री लालू जाट निवासी चीड खेडा तहसील सहाडा
10. रामा पिता उदा जाट निवासी चीड खेडा
11. डालू पिता लालूराम जाट निवासी चीड खेडा
12. छीतर पिता कालू जाट निवासी चीड खेडा
13. छग्गू पिता मांगू जाट निवासी चीड खेडा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

14. देबी लाल पिता कजोड जाट निवासी चीड खेडा
15. डालू पिता कजोड जाट निवासी चीड खेडा
16. शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे शाखा गंगापुर जिला भीलवाडा
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 53/2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.8.2017

अभिभाषक : 1. श्री दिनेश बापना अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 16 अनुपस्थित
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 5.2.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चीढखेडा पटवार हल्का चीढखेडा तहसील सहाडा के बेरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 तक के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की आराजी संख्या 606 रकबा 0.24 है0, आराजी नम्बर 607 रकबा 0.22 है0, आराजी नम्ब 608 रकबा 0.53 है0, आराजी नम्बर 609 रकबा 0.58 है0, आराजी नम्बर 611 रकबा 0.14 है0, आराजी नम्बर 612 रकबा 0.07 है0, आराजी नम्बर 954 रकबा 0.67 है0, आराजी नम्बर 996 रकबा 0.33 है0, आराजी नम्बर 998 रकबा 0.22 है0, आराजी नम्बर 999 रकबा 0.14 है0, आराजी नम्बर 1004 रकबा 0.09 है0, आराजी नम्बर 2883

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

रकबा 0.03 है0, आराजी नम्बर 4046/605 रकबा 0.06 है0, कुल किता 13 कुल रकबा 3.32 है0 भूमि खातासंख्या 303 पर स्थित है। उक्त आराजियात में वादी का संयुक्त रूप से 2/9 हिस्सा निहित है तथा वादी तथाि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

2. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 के मध्य राजस्व खाता संख्या 303 सामलाती दर्ज रेकार्ड होने से वादी को लगान जमा कराने अपने हिस्से की भूमि को उपजाऊ बनाने ऋण लेने में भारी अडचन पैदा रहती है। अतः वादी को वादग्रस्त आराजियात में अपने 2/9 हिस्से का स्वतंत्र रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज कर वादग्रस्त आराजियात का विभाजन किया जावे। वादी नेप्रतिवादी को कई बार कहा परन्तु वे टालमटोल करते रहे तथा दिनांक 20.4.2017 का प्रतिवादीगण ने बंटवाडा कराये जाने के लिए मना कर दिया । प्रतिवादी संख्या 1 से 15 तक सह खातेदार होने व प्रतिवादी संख्या 16 के यहॉ से उक्त आराजियात पर ऋण ले रखा है इसलिए उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि मौजा चीढखेडा पटवार हल्का चीढखेडा तहसील सहाडा के बेरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 तक के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की आराजी संख्या 606 रकबा 0.24 है0, आराजी नम्बर 607 रकबा 0.22 है0, आराजी नम्ब 608 रकबा 0.53 है0, आराजी नम्बर 609 रकबा 0.58 है0, आराजी नम्बर 611 रकबा 0.14 है0, आराजी नम्बर 612 रकबा 0.07 है0, आराजी नम्बर 954 रकबा 0.67 है0, आराजी नम्बर 996 रकबा 0.33 है0, आराजी नम्बर 998 रकबा 0.22 है0, आराजी नम्बर 999

(कैलाश ... लखारा)
...उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
...सहायक कलेक्टर...

रकबा 0.14 है0, आराजी नम्बर 1004 रकबा 0.09 है0, आराजी नम्बर 2883 रकबा 0.03 है0, आराजी नम्बर 4046/605 रकबा 0.06 है0, कुल किता 13 कुल रकबा 3.32 है0 भूमि जो राजस्व खाता संख्या 303 पर स्थित है में वादी का 2/9 हिस्से का पृथक से राजस्व खाता खोल कर लगान अलग दर्ज कराया जवो व कब्जा भी पृथक से दिलाया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 8.6.2017 को पारित की गई। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक **22.8.2017** को पारित की गई। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की प्रोपर तामील नहीं कराई गई जिससे अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिल पाया एवं बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई। इसलिए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की आड में जब अपीलार्थी के उपयोग उपभोग में प्रत्यर्थी दखलन्दाजी करने लगे तब हुई। तब अविलम्ब अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर अवलिम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का क्षम्य किया जावे।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, बांसवाड़ा

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि उक्त प्रकरण में सम्मन की अपीलार्थी पर कभी कोई सम्यक व विधिवत तामील नहीं हुई है। उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सीधे ही कैम्प में रख दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का कोई समुचित अवसर नहीं दिया गया एवं अपीलार्थी की अनुपस्थिति में मनमकसूद तौर पर प्रारंभिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी/वादी के हक में 2/9 हिस्से का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन के आदेश पारित कर दिये जो सरासर विधि विरूद्ध है, वादग्रस्त भूमि में प्रत्यर्थी/वादी का 2/9 हक व हिस्सा कानूनन बनता ही नही है। प्रत्यर्थी/वादी के खाते में गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के परिवार का सजरा निम्नानुसार है :–

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी ... ेन
राजस्व अपील प्राधि... ड़ा

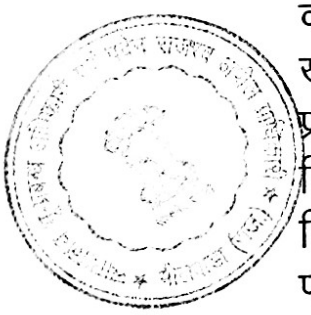

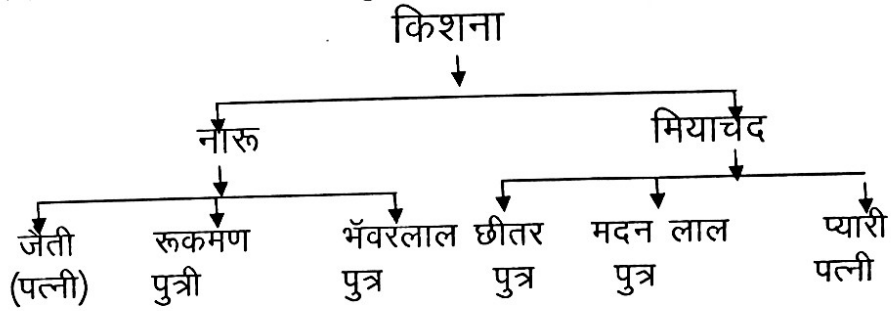

उक्त वादग्रस्त आराजियात किशना जी के समय की है। किशना जी के देहान्त के उपरान्त नारू व मियाचन्द में निहित हुई । उक्त आराजी में नारू जी का 1/6 हिस्सा व मियाचंद का 1/6 हिस्सा निहित था । नारू जी के देहान्त के उपरान्त उक्त हक हिस्सा विरासत से उनके वारिसान भँवर लाल व जैती में निहित हुआ । जैती का देहान्त हो गया, जिससे नारू जी के हक हिस्से की भूमि अकेले अपीलार्थी के नाम दर्ज हुई। इसी प्रकार मियाचंद जी के हिस्से की भूमि मदन लाल जी के नाम पर दर्ज हुई । इस प्रकार अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 का उक्त वादग्रस्त आराजियात में बराबर–बराबर का हक हिस्सा निहित होता है । उक्त आराजियात में अपीलार्थी का 1/6 हक हिस्सा व प्रत्यर्थी/वादी मदन का 1/6 हक हिस्सा है किन्तु राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन हो जाने का नाजायज फायदा उठाकर प्रत्यर्थी/वादी ने विभाजन का वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है जबकि प्रत्यर्थी/वादी का 2/9 हक हिस्ससा उक्त आराजियात में बनता ही नहीं है जिससे उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूिद्ध होने से निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 8.6.2017 को प्रारंभिक निर्णय व डिक्री पारित कर प्रकरण को फैसल शुमार कर दिया व विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु कोई तारीख मुकर्रर नहीं की । इसके पश्चात दिनांक 21.8.2017 को पत्रावली स्वयं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गहन मनन किये दिनांक 22.8.2017 को उक्त अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव बनाने से पूर्व अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई। तहसीलदार सहाडा को स्वयं मौके पर जाकर सहखातेदार की मौजूदगी में बंटवाडा प्रस्ताव बनाना था और राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स के अनुसार अच्छी से अच्छी व खराब से खराब भूमि का विभाजन अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण के मध्य करने का प्रस्ताव तैयार करना था और जो खातेदार जिस भूमि पर काबिज है, उस भूमि को उसी के खाते में रखना था । लेकिन तहसीलदार सहाडा ने उक्त नियमां की अवहेलना करते हुए बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी का वादग्रस्त आराजियात मे 1/6 हिस्सा है एवं उक्त हक हिस्से अनुसार अपीलार्थी मौके पर आराजी नम्बर 608 , 611 पर काबिज है किन्तु विभाजन प्रस्ताव में उक्त सम्पूर्ण आराजी प्रत्यर्थी संख्या 1 के हक हिस्से में रख दी जबकि नियम 20 के अनुसार सहखातेदार के कब्जे को डिस्टर्ब किये बिना, विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि लोक अदालत का उद्धेश्य पक्षकारों को एकसाथ बैठाकर सहमति ली जाकर सहमति के आधार पर निर्णय पारित करना होता है। जबकि अपीलाधीन प्रकरण में राजस्व कैम्प चीडखेडा में सभी पक्षकारान उपस्थित नहीं थे एवं न ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर हैं, न्यायालय की आदेशिका में भी वादी अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी संख्या 8 व 12 उपस्थित होना

(कैलाश चन्द्र लखारा)
प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी

लिखा है और बहस भी वादी अधिवक्ता की एकतरफा सुनी जाना अंकित किया है। अपीलार्थी की उक्त विभाजन बाबत कभी कोई सहमति नहीं थी एवं न ही आदेशिका दिनांक 8.6.2017 पर उसके हस्ताक्षर ही हैं। जिससे अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं कर पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

12. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 8.6.2017 एवं अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.6.2017 को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उसके हिस्से में आने वाली भूमि बाबत विधिवत जाच रेवेन्यू एजेन्सी से करवाने के उपरान्त प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

13. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 16 बावजूद सूचना अनुपस्थित ।

14. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद माने जाने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
उप-प्रखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, भीलवाड़ा

15. प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दिनांक 25.5.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करने के साथ ही आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.6.2017 नियत की गई एवं प्रकरण कैम्प चीडखेडा पर पेश किये जाने का अंकन आदेशिका में किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस का अवलोकन किया गया । जिस पर पुष्पा के हस्ताक्षर हैं। उक्त सम्मन की पुश्त पर अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री होना अंकित किया गया है।

16. दिनांक 8.6.2017 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प चीडखेडा पर रखा गया । उक्त दिनांक की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी संख्या 8 एवं 12 उपस्थित वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । साथ ही वादी एवं प्रतिवादी ने विभाजन स्कीम हेतु सहमति दी । उक्त अंकन किया जाकर प्रकरण में निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित कर दी । बंटवाडा प्रस्ताव तलबी हेतु तहसीलदार सहाडा को तहरीर जारी किये जाने का अंकन किया गया है। उक्त अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प में पारित किया गया है। राजस्व लोक अदालत कैम्प में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजीनामा किया जाता है एवं राजीनामा प्रपत्र सभी पक्षकारान द्वारा सहमति के स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है । अपीलाधीन प्रकरण मे मात्र प्रतिवादी संख्या 8 व 12 की उपस्थिति का अंकन किया गया है। शेष प्रत्यर्थीगण बाबत आदेशिका में कोई अंकन नहीं किया गया है एवं न ही

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी

उपस्थित स्वरूप उनके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में सभी पक्षकारों द्वारा राजीनामा प्रपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

17. मूल वाद में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत होने के उपरान्त तनकियात कायम की जानी चाहिये एवं उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये। चूंकि मूल वाद में पक्षकारों के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। जबकि अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं की गई है। अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

18. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । उक्त बंटवाडा प्रस्ताव दिनां 13.7.2017 को तैयार किया गया है । राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाना प्रस्तावित होता है जिसमें अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का समान रूप से बंटवाडा किया जाता है एवं कब्जे के बिन्दु को भी ध्यान में रखा जाता है। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय यदि किसी पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो उसका निस्तारण भी किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में बटवाडा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारान की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई है। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव पर अपीलार्थी/प्रतिवादी

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

के हस्ताक्षर भी नहीं है। अपीलार्थी का कथन है कि उसके कब्जेकाश्त वाली भूमि बंटवाडे में उसके नहीं रखी जाकर प्रत्यर्थी के रखी गई है। यदि बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती तो अपीलार्थी की आपत्ति का निस्तारण मौके पर किया जा सकता था। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। जिससे अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

19. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 8.6.2017 एवं अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.6.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त तनकियात कायम की जावे एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेज का अवलोकन कर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की जावे तथा राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित कीक जाकर तहसीलदार की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.3.2020 को उपस्थित रहे।

20. निर्णय आज दिनांक 5.2.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.02.05 16:08:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: